बिहार सरकार
शिक्षा विभाग
(प्राथमिक शिक्षा निदेशालय)
आदेश

पटना, दिनांक.....

संख्या–8 / आ०5–48 / 2023..... / जिला शिक्षा पदाधिकारी, रोहतास के पत्रांक 548 दिनांक 04.07.2023 द्वारा श्री गौरी शंकर सिंह, तत्कालीन प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, नौहट्टा,–सम्प्रति–सेवानिवृत्त प्रधानाध्यापक, राजकीय बुनियादी विद्यालय, छतौना, समस्तीपुर के विरूद्ध वरीय शिक्षक की जगह कनीय शिक्षक को प्रभारी के रूप में प्राधिकृत करने, जिला पदाधिकारी, रोहतास / जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्था०) रोहतास एवं अनुमंडल लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, रोहतास, सासाराम द्वारा पारित विनिश्चय के आदेश पर प्रखंड नियोजन इकाई, रोहतास द्वारा स्थानांतरित एवं निलंबित प्रा०शि० श्री रामाकान्त सिंह, म० वि०, ताराडीह को मूल विद्यालय में योगदान करने एवं वित्तीय प्रभार देने का आरोप प्रतिवेदित किया गया।

उक्त के आलोक में प्राथमिक शिक्षा निदेशालय के पत्रांक 333 दिनांक 25.04.2024 द्वारा श्री सिंह से लिखित बचाव अभिकथन की माँग की गयी। तदालोक में श्री सिंह द्वारा लिखित बचाव अभिकथन समर्पित किया गया। श्री सिंह से प्राप्त लिखित बचाव अभिकथन पर प्राथमिक शिक्षा निदेशालय द्वारा जिला शिक्षा पदाधिकारी, रोहतास से मंतव्य की मांग की गयी। जिला शिक्षा पदाधिकारी, रोहतास के पत्रांक 217 दिनांक 05.12.2025 द्वारा श्री सिंह के स्पष्टीकरण पर मंतव्य प्रतिवेदन समर्पित किया गया।

श्री सिंह के विरूद्ध आरोप, उनसे प्राप्त स्पष्टीकरण, जिला शिक्षा पदाधिकारी, रोहतास से प्राप्त मंतव्य प्रतिवेदन एवं संलग्न साक्ष्यों की समीक्षोपरांत पाया गया कि पूर्व में निर्गत विभागीय आदेश एवं जिला शिक्षा पदाधिकारी, रोहतास द्वारा जिले के सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों के साथ आहूत समीक्षात्मक बैठक एवं पत्राचार के द्वारा जिले के विद्यालयों में वरीय शिक्षक को विद्यालय का प्रभारी प्रधानाध्यापक नामित करने हेतु आदेशित किए जाने के बावजूद इनके द्वारा कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गयी। पत्राचार कर अपने दायित्व से मुक्त होने का प्रयास किया गया, जिससे कई विद्यालयों में विभागीय नियम के प्रतिकूल वरीय शिक्षक के स्थान पर कनीय शिक्षक विद्यालय के प्रभार में बने रहे। श्री सिंह के जिला से स्थानांतरण के पश्चात् तत्कालीन प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, नौहट्टा, श्री कन्हैया कुमार के पत्रांक 258 एवं 259 दिनांक 21.06.2023 द्वारा जिला शिक्षा पदाधिकारी, रोहतास के कार्यालय को अवगत कराया गया कि नौहट्टा प्रखंड के कुल 09 विद्यालयों में वरीय शिक्षक के स्थान पर कनीय शिक्षक ही प्रभार में बने रहे।

सचिव, प्रखंड शिक्षक नियोजन इकाई, रोहतास के ज्ञापांक 296 दिनांक 14.12.2022 द्वारा श्री रामाकान्त सिंह, शिक्षक को मध्य विद्यालय, कोडियारी में स्थानान्तरित किया गया। श्री सिंह स्थानान्तरित विद्यालय में योगदान करने के बजाय चिकित्सा अवकाश में चले गये। स्थानान्तरित विद्यालय में श्री रामाकान्त सिंह, शिक्षक द्वारा योगदान नहीं करने के फलस्वरूप प्रखंड नियोजन इकाई, सासाराम के पत्रांक 06 दिनांक 06.01.2023 द्वारा श्री रामाकान्त सिंह को निलंबित किया गया। निलंबित शिक्षक, श्री सिंह के चिकित्सा अवकाश से लौटने के उपरांत श्री गौरी शंकर

सिंह, तत्कालीन प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, नौहट्टा अतिरिक्त प्रभार–प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, रोहतास द्वारा श्री रामाकान्त सिंह को मूल विद्यालय, मध्य विद्यालय, ताराडीह, रोहतास में योगदान कराने के पश्चात् निलंबन मुख्यालय/स्थानान्तरित विद्यालय में योगदान हेतु विरमित नहीं किया गया। उक्त से स्पष्ट है कि आरोपी पदाधिकारी, श्री सिंह द्वारा अपने कर्त्तव्यों का समुचित निर्वहन नहीं किया गया है एवं वरीय पदाधिकारी के आदेश की अवहेलना की गयी है।

अतः समीक्षोपरान्त श्री गौरी शंकर सिंह, तत्कालीन प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, नौहट्टा–सम्प्रति–सेवानिवृत्त के विरूद्ध "दो वर्षों के लिए 03% (तीन प्रतिशत) पेंशन कटौती" का दण्ड अधिरोपित किया जाता है।

इसके साथ ही मामले को निष्पादित किया जाता है।

ह०/–
(विक्रम विरकर)
निदेशक (प्राथमिक शिक्षा)

ज्ञापांकः–08/आ०5–48/2023.....222..... पटना, दिनांक....13.02.2026

प्रतिलिपिः–क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक, पटना प्रमंडल, पटना/जिला शिक्षा पदाधिकारी, रोहतास एवं समस्तीपुर/जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्थापना), रोहतास एवं समस्तीपुर/संबंधित कोषागार/उप कोषागार पदाधिकारी/श्री गौरी शंकर सिंह, तत्कालीन प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, नौहट्टा–सम्प्रति–सेवानिवृत्त प्रधानाध्यापक, राजकीय बुनियादी विद्यालय, छतौना, समस्तीपुर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

2. आई०टी० मैनेजर, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना को निदेश दिया जाता है कि इसे संबंधित को ई–मेल करना एवं विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।

निदेशक (प्राथमिक शिक्षा)